[redacted]

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.139(06)निर्देश/विधि/पंरा/2022/327 जयपुर, दिनांक : 30/3/22

:::: परिपत्र ::::

विषय :— ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों द्वारा पट्टा बही का संधारण किये जाने बाबत्।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण पट्टें जारी करने में भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरण विभाग को प्राप्त हो रहे है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 168 के तहत नीलामी, परक्रामण या आवंटन द्वारा किये गए समस्त विक्रयों का, जिनके लिए पट्टे जारी किये जायें, अभिलेख पंचायत द्वारा प्ररूप 24 में पट्टा बही में रखे जाने का प्रावधान है।

अतः इस संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त(राजस्थान) को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 168 में वर्णित प्रावधानों की पालना कड़ाई से अमल में लाई जाये। उक्त परिपत्र की अवहेलना किये जाने वाले संबंधित विकास अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(पी0सी0 किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0वि0 एवं प0 राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा0वि0 एवं प0 राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0वि0 एवं प0 राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर
6. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान।
7. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
8. ए0सी0पी0 पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

30/3/22

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)